राजस्व अपील संख्या – 53/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/223

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या – 53/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/223

अपीलांटः–

1. चेतन प्रकाश पुत्र स्व. श्री सुदेश कुमार
2. चन्द्रा पुत्री स्व. श्री सुदेश कुमार

सभी जाति मेघवाल, निवासीगण राजीव गांधी कॉलोनी, के.के. कॉलोनी रोड, जोधपुर।

बनाम

रेस्पोन्डेन्टस –

1. लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री तनसुख
2. मनोज उर्फ मनोहर पुत्र स्व. श्री तनसुख
3. प्रकाश पुत्र स्व. श्री तनसुख

सभी जाति मेघवाल निवासी झालामण्ड चौराहा के पास, जोधपुर।

4. पदमा पुत्र स्व. श्री तनसुख धर्मपत्नी श्री पवन जाति मेघवाल निवासी रेलवे स्टेशन के पास, मकराना, जिला नागौर।
5. राजेश पुत्र स्व. श्री पृथ्वीराज
6. नरेन्द्र पुत्र स्व. श्री पृथ्वीराज
7. हेमा पुत्री स्व. श्री पृथ्वीराज
8. वैशाली पुत्री स्व. श्री पृथ्वीराज
9. प्रमिला बेवा स्व. श्री पृथ्वीराज
10. सज्जन पुत्र श्री तनसुख

सभी जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम झालामण्ड चौराहा के पास, जोधपुर। रेस्पोंडेंट सं. 6 नरेन्द्र व 7 हेमा नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता रेस्पोंडेंट सं. 9 प्रमिला बेवा पृथ्वीराज।

11. उप तहसीलदार, कुडी भगतासनी, जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामांतरकरण सं. 1609 दिनांक 30.12.2019, जो उप तहसीलदार, कुडी भगतासनी द्वारा पारित किया गया।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 53/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/223

उपस्थित –

1. अधिवक्ता श्री धर्माराम प्रजापत (अपीलांट्स की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित (प्रत्यर्थी सं. 02 व 04 की ओर से)
3. शेष प्रत्यर्थीगण नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक– 28.11.2025

1. अपीलांट्स ने यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत उप तहसीलदार, कुडी भगतासनी, जिला जोधपुर ग्राम कुडी भगतासनी के नामांतरकरण सं. 1609 पर पारित आदेश दिनाक 30.12.2019 को अपास्त करने हेतु दिनांक 26.02.2020 को पेश की है।
2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी सं. 2 व 4 की ओर से श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा शेष अन्य प्रत्यर्थीगण पर नोटिस तामिल होने के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय आदेश पारित किये जाते है।
3. अपील मीमों में अंकित अभिकथनों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कुडी भगतासनी के ख.नं. 346 रकबा 20 बीघा कृषि भूमि खातेदार छोटी देवी पुत्री मदाराम मेघवाल की खातेदारी में दर्ज थी। छोटी देवी की दिनांक 19.01.2018 को मृत्यु होने पर विरासत का नामांतरकरण सं. 1559 दिनांक 23.05.2018 से अपीलांट्स व रेस्पोंडेंट्स के नाम रिकॉर्ड में जरिये किये गये उक्त नामांतरकरण सं. 1559 के विरूद्ध अपील सं. 26/2019 दिनांक 03.07.2019 को अतिरिक्त जिला कलक्टर, जोधपुर के न्यायालय में पेश की गई, जिसे निर्णय दिनांक 05.08.2019 को खारिज कर दिया गया तथा जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, जोधपुर में अपील सं. 154/2019 पेश हुई, जिसे निर्णय दिनांक 16.12.2019 को स्वीकार किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार, जोधपुर को वसीयत अनुसार नामांतकरण दर्ज करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त दिनांक 16.12.2019 के आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा निगरानी सं. 2020/133 राजस्व मण्डल, अजमेर में पेश की गई, जिसमें दिनांक 28.01.2020 को स्थगन आदेश जारी किया गया, जिसकी जानकारी रेस्पोंडेंट्स व तहसीलदार, जोधपुर को थी, फिर भी स्थगन आदेश दिनांक 28.01.2020 से पूर्व की तारीख दिनांक 30.12.2019 को ही अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 1609 दिनांक 30.12.2019 को उप तहसीलदार, कुडी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

भगतासनी ने स्वीकार कर दिया। उक्त आदेश दिंनाक 30.12.2019 कानूनी व वाक्यात् के विरूद्ध होने, तथ्यों की जांच किये बिना, अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है। उप तहसीलदार को अपील म्याद खत्म होने तक इंतजार करना चाहिए था। रैस्पोंडेंट्स द्वारा प्रस्तुत वसीयत फर्जी है। छोटी देवी द्वारा निष्पादित दोनों बक्शीसनामा में किसी प्रकार की वसीयत नहीं होने का कथन है। दस्तावेज फर्जी है। अपीलांट्स भी छोटी देवी के वारिसान है। रेस्पोंडेंट्स ने सहायक कलक्टर (एसडीओ) कोर्ट में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है, जिसमें दिंनाक 13.07.2018 के आदेश से यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है। फिर भी दिनांक 30.12.2019 का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स की पालना नहीं की गई है। आराजी पर अपीलांट्स का ही कब्जा है।

प्रथम अपील में रेस्पोंडेंट्स का धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अनिर्णित रहा। ख.नं. 346 की भूमि पर भी अपीलांट्स का मकान बना हुआ है, जिसमें बिजली का कनेक्शन भी अपीलांट चेतन प्रकाश के नाम से है। मकान के फोटोग्राफ्स पेश किये है। अतः नामांतरकरण सं. 1609 पर पारित आदेश दिनांक 30.12.2019 को निरस्त किया जाकर, अपीलांट्स के नाम म्युटेशन पारित किया जावे।

4. प्रत्यर्थी सं. 02 व 04 के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 21.11.2025 को फॉर्म सं. 03 में न्यायालय ए.डी.जे. कोर्ट सं. 02, जोधपुर में दायर दावा व वसीयतनामा दिनांक 14.07.2010 की फोटोप्रतियां पेश की।
5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक गणों की अपील पर बहस सुनी गई।
6. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्माराम प्रजापत ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराया तथा यह भी कथन किया कि वसीयत को निरस्त करने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में दावा पेश कर दिया गया है। अतः अपील स्वीकार की जावे।
7. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खण्डन करते हुए प्रत्यर्थी सं. 02 व 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित ने कथन किया कि खातेदारी छोटीदेवी द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1, 2, 3, 4 व 10 के हक में विवादग्रस्त आराजी ख.नं. 346 का वसीयतनामा लिखा है, जो एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड बक्शीसनामा भी पुत्र वधुओं के नाम निष्पादित छोटी देवी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

द्वारा किये गये है, जो 03–06 बीघा का प्रत्येक के नाम है। छोटी देवी का एक पुत्र सुदेश कुमार, छोटी देवी के जीवन काल में ही अलग हो गया था, उसके पक्ष में कोई वसीयत नहीं लिखी है। सुदेश कुमार की मृत्यु भी छोटी देवी से पहले हो चुकी है। अपीलांट्स सुदेश कुमार के पुत्र पुत्रियां है। छोटी देवी की मृत्यु के बाद नामांतरकरण सभी वारिसान के पक्ष में दर्ज कर दिया था, जिसकी अपील म्याद बाहर मान कर खारिज कर दी गई थी। जिसकी द्वितीय अपील सं. 154/2019 दिनांक 16.12.2019 को अति. संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा स्वीकार की गई तथा वसीयतनामा के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश तहसीलदार, जोधपुर को दिये गये, जिसके विरूद्ध निगरानी राजस्व मण्डल में पेश की गई है। अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 1609 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय की पालना में दर्ज किया गया है, जिसकी अपील अतिरिक्त कलक्टर को नहीं की जा सकती। अपीलांट्स द्वारा राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी में, जब तक अति. संभागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय दिनाक 16.12.2019 अपास्त नहीं हो जाता है, तब तक अपीलाधीन म्युटेशन अपास्त/निरस्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त उप तहसीलदार ने नामांतरकरण राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत पारित किया है, जिसकी अपील भी संभागीय आयुक्त को ही हो सकती है। अतः इस कारण से भी यह अपील संधारण योग्य नहीं है।

वसीयत निरस्त करने हेतु सिविल वाद लंबित है, वाद की फोटोप्रति पेश की है। जब तक वसीयत केंसिल नहीं होती है, तब तक अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 1609 भी निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः अपील सारहीन व गैर कानूनी तरीके से पेश करना होने से खारिज की जावे।

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों पर, तर्को पर गहनता से मनन किया।

9. a)अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार ग्राम कुडी भगतासनी का ख.नं. 346 रकबा 20 बीघा भूमि खातेदार छोटीदेवी पुत्री मदाराम की खातेदारी में दर्ज थी। छोटी देवी की दिनांक 19.01.2018 को मृत्यु होने पर उक्त आराजी का विरासत का नामांतरकरण सं. 1559 दिनांक 23.05.2018 को अपीलांट्स व प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज किया गया। उक्त नामांतरकरण सं. 1559 के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा अपील सं. 26/2019 दिनांक 03.07.2019 को न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जोधपुर में पेश की गई, जो निर्णय दिनांक 05.08.2019 को म्याद

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बाहर मानी जाकर खारिज कर दी गई, जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील सं. 154/2019 न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर में प्रत्यर्थीगण द्वारा पेश की गई। अति. संभागीय आयुक्त ने दिनांक 16.12.2019 को प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार की तथा तहसीलदार, जोधपुर को वसीयतनामा के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने का निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 16.12.2019 की पालना में अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 1609 दर्ज कर आदेश दिनांक 30.12.2019 पारित किया गया है। अपीलांट्स का कथन है कि अति. संभागीय आयुक्त द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 16.12.2019 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी सं. 2020/133 पेश की है, जिसमें दिनांक 28.01.2020 को स्थगन आदेश पारित किया हुआ है।

(2) अपीलांट्स स्वयं द्वारा उक्तानुसार स्वीकार, तथ्यात्मक स्थिति से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 1609 दिनांक 30.12.2019 को पारित करने का मुख्य आधार, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा, प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सं. 154/2019 में पारित निर्णय दिनांक 16.12.2019 है, जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत निगरानी माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में, निगरानी सं. 2020/133 विचाराधीन है तथा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 को अपास्त करके आदेश दिनांक 16.12.2019 पारित किया है। जिसकी पालना में उप तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2019 पारित किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि नामांतरकरण की कार्यवाही एक समरी व फिस्कल प्रोसिडिंग है, जो किसी आदेश की पालना में ही दर्ज किया जाता है। जब तक मूल आदेश/निर्णय निरस्त नहीं किया जाता है तब तक नया नामांतरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता तथा न ही नामांतरकरण अपास्त किया जा सकता है। इस प्रकार उच्चतर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.2019 की पालना में दर्ज किया गया अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 1609 पर पारित निर्णय दिनांक 30.12.2019 के बारे में आपत्तियों को सुनने व उन्हे परीक्षण कर, निस्तारित करने का इस न्यायालय को किसी प्रकार का क्षेत्राधिकार ही नहीं है तथा यह अपील ग्रहण योग्य नहीं होने से प्रारंभतः ही खारिज योग्य है। अतः इसी आधार पर बिना किसी अन्य कार्यवाही के यह अपील खारिज की जाती है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

c)अपीलांट्स स्वयं के कथनानुसार उन्होने विवादास्पद वसीयत को निरस्त करने हेतु सिविल न्यायालय में वाद पेश कर रखा है, जो अभी लंबित है तथा उप तहसीलदार द्वारा आक्षेपित नामांतरकरण सं. 1609, माननीय अति. संभागीय आयुक्त के निर्णय की पालना में ही वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दर्ज किया है, जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी भी लंबित है। उक्त तथ्यात्मक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह न्यायालय इस प्रकरण में क्षेत्राधिकार विहिन है।

आदेश

10. उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार व विश्लेषणानुसार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है।
11. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, कुडी भगतासनी को पुनः लौटाया जावे।
12. प्रकरण में लंबित अन्य समस्त प्रार्थना (यदि कोई हो तो) एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।
13. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम), जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम), जोधपुर